न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 04 / 2015

निर्धन साह बनाम राज्य एवं अन्य

–:: आदेश ::–

11.2.18
18.2.18

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा–सह–अनुज्ञापन अधिकारी के ज्ञापांक 490 दिनांक– 28.03.2015 द्वारा अपीलार्थी निर्धन साह की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया हैं।

अपीलार्थी निर्धन साह का कहना है कि वे वर्ष 1973 से जन वितरण प्रणाली दुकान चलाते आ रहे है और 40 वर्षो से आवंटित सामग्रियों का समय पर उठाव कर उपभोक्ताओं एवं लाभार्थियों के बीच निर्धारित मात्रा में नियत मूल्य पर वितरित करते रहे हैं और इस लम्बी अवधि में किसी भी उपभोक्ता या लाभार्थी ने अपीलार्थी के विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं की।

अपीलार्थी ने अनुमण्डल पदाधिकारी के ज्ञापांक 2431 दिनांक– 24.11.2014 द्वारा सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सदर सहरसा के द्वारा जॉच में पायी गयी अनियमितता जिसमें 3.56 क्वींटल गेहूँ एवं 3.27 क्वींटल चावल भंडार में पाये जाने एवं उपभोक्ता मदन पासी, रिन्कू देवी, मोहन पासवान, लीला देवी एवं पूनम देवी का बयान कि निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न अधिक कीमत लेकर डीलर द्वारा आपूर्ति करने एवं स्थानीय निगरानी समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त जाली वितरण पंजी तैयार कर लेने के आरोप में कारण–पृच्छा की मांग की गयी। अपीलार्थी ने लगाये गये आरोपों पर उपभोक्ता मदन पासी एवं रिन्कू देवी अवितरित पी0एच0एच0 गेहूँ एवं चावल के बिन्दू पर स्थिति स्पष्ट करने संबंधी शपथ–पत्र संलग्न कर दिनांक– 03.12.2014 को अपना कारण–पृच्छा अनुमण्डल पदाधिकारी को समर्पित किया। शपथ पत्र मे वितरित सामग्रियों एवं ली गयी कीमत का भी स्पष्ट उल्लेख हैं। अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपीलार्थी को सुनने का अवसर दिये बिना उनके कारण–पृच्छा को असंतोषजनक करार दिया गया तथा ज्ञापांक 490 दिनांक– 28.03.2015 द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी।

अपीलार्थी ने अग्रतर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को अभिलेख में उपलब्ध तथ्य, परिस्थिति एव साक्ष्य के प्रतिकूल बतलाया है। अपीलार्थी ने अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व अपीलार्थी को सुनने का अवसर दिये बिना आदेश पारित करने का अवैधानिक बतलाते हुए कहा है कि भंडार में खाद्यान्न बचा था उसका कारण यह था कि वैसे उपभोक्ता जो खद्यान्न के लिए उपस्थित नहीं हुए थ बचा हुआ था, जिसका सत्यापन भंडार पंजी से करने के उपरान्त ही अनियमितता का आरोप लगाया जाना था, क्योंकि वितरण पंजी पर उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर अथवा अगूठे का निशान लगा हुआ था एव उस पर निगरानी समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर रहत

हुए उसे जाली करार देना नियम के प्रतिकूल हैं।उपभोक्ताओं से कम मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति कर अधिक कीमत लेने का आरोप भी वितरण पंजी से स्वतः गलत साबित होता है। सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा के प्रतिवेदन में चार डीलरों पर एक हीं प्रकार का आरोप लगाया गया था, परन्तु अन्य किसी भी डीलर को दण्डित नहीं कर मात्र अपीलाथी की अनुज्ञप्ति रद्ध कर दण्डित किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्ध कर अपीलार्थी से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को सहदेव पंडित डीलर के दूकान से सम्बद्ध कर दिया गया, जिनके विरूद्ध सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी से अधिक आरोप प्रतिवेदित था और डीलर सहदेव पंडित को आरोप से बरी कर दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी का आदेश विवेकाधीन हीं नहीं है, बल्कि इसमें जूडिशियल माइन्ड भी नहीं लगाया गया। इस तरह अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश जो न्याय संगत नहीं है को निरस्त कर अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने की याचना की गयी हैं।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक कहना है कि दिनांक 06.11.2014 को सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सदर, सहरसा के द्वारा अपीलार्थी का दुकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में अपीलार्थी के विरूद्ध कई अनियमितता पायी गयी। लाभुकों का लगाया गया आरोप सही पाया गया। खाद्यान्न वितरण पंजी फर्जी पंजी तैयार कर जॉच में प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी का अपील खारीज योग्य है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 में तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 196/2001 में पारित न्यायादेश का उल्लघन किया गया है, अनुमंडल पदाधिकारी सहरसा द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार त्रुटि नहीं है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील आवेदन खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

18.2.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

18.2.18

समाहर्त्ता
सहरसा।